Before The Humble National Green Tribunal

(Principal Bench)New Delhi

Original Application No. 176 of 2022

IN THE MATTER OF :

AMAN CHAUDHARY .... Applicant

Versus

UNION OF INDIA& Other .... Respondent

AFFIDAVIT OF COMPLIANCE

I, Rakesh kumar singh, aged about..59........ posted as District Magistrate, Kanpur Nagar do hereby solemnly affirm and state as under:

1-That the deponent is presently posted as District Magistrate, Kanpur Nagar, as Such is competent to sign and swear in the instant affidavit.

2- That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.03.2024 has directed that "7. In the facts and circumstances of the case the Director, Geology and Mining. Uttar Pradesh and The District Magistrate, Kanpur Nagar are directed to file additional affidavits with complete details at least one week before the next date of hearing hereby fixed and produce the complete original record pertaining to mining lease in favour of the Project Proponent before this Tribunal on the next date of hearing hereby fixed.

3- That in compliance of the above direction of This Hon'ble Tribunal the detail of the matter concerned are as below:

(a) As per the terms and conditions of the Government order No 1875/86-2017-57(5a) T.C.I dated 14.08.2017 advertisement was issued on 03.11.2017 for the settlement of lease under chapter-4 of minor mineral Concession Rules 1963 Currently 2021 through e-auction/e-tender in respect of area village Katri Sunaudha,Tehsil Bilhaur, District- Kanpur Nagar.The project proponent M/s Vaishnavi Enterprises Proprieter Sri Nagendra Singh was declared as highest bidder (his bid Rs. 92/- Per Cub. Meter) and therefore vide letter No. 36/Tees-upkhaniz/2018dated 18-01-2018 letter of Intent(LOI) was issued in his favour.

(b) Environment clearance Certificate No. 174 dates 18-02-2016 which was issued in favour of lease holder M/s Vaishnavi Enterprises proprietor Nagendra singh was produced before the District Magistrate office. In Pursuance of it, lease was executed for a period of 5 Years W.E.F 07-04-2018 to 06-04-2023 in favour of M/s Vaisnavi Enterprises Prop. Nagendra singh R/o Mig 2 Mahabalipuram Kanpur Nagar for the area village Katri Sunaudha Tehsil Bilhaur gata no. 02 Mi Area 10.5 Hector. Now the lease period has been expired.

Scanned with OKEN Scanner

District Village Katri sunaudha, Tehsil Bilhaur, Gata No. 02 Mi Area 10.5 hectare. Now the lease period has been expired.

C) As per the report of S.D.M. Bilhaur dated 07-12-2020 a flat bandha was found 700 metre to the west of lease area i.e. Villege Katri Sunaudha Tehsil-Bilhaur, Gata No. 02 Mi Rakba 10.5 hectare in revenue village Katri Atwa Tehsil Bilhaur. In respect of the above, against unknown persons, FIR Criminal Case Number. 0338 Dated 08-12-2020 (Annexure-1) was lodged in Police Station Chaubeypur, Tehsil-Bilhaur in which charge sheet dated 21.06.2021 was submitted before Hon'ble ACJM-1court, Mati,Kanpur Dehat. The leasee was also made accused in the charge sheet dated 21.06.2021 [Annexure-2]

(d) In the joint inspection report of the then Mines Inspector and Tehsildar, Bilhaur dated 05.12.2021 (Annexure-3) it was found that in the lease area the lessee constructed the Hall road (unmettaled road for the transportation of vehicles) measuring (10m x 145m x 1ft) along side the river by cutting the upper soil by machine. In pursuance of the above joint inspection report dated 05.12.2021 a notice No. 1058/30-upkhanij Dated 09-12-2021 was given (Annexure-4] to the lessee for the construction of road without taking permission and a penalty of Rs. 72,500/-was imposed and the lessee was directed either to deposit the penalty amount within 03 days or to submit his explanation/reply. The Leasee deposited the said amount through challan No. akv 210014180 dated 09.12.2021 (Annexure-5)

(e) As per the inspection report of SDM Bilhaur dated 12-12-2020, lessee was found to have done illegal mining of 54219 cub. Meter in Gata No. 1 Mi Rakba 5.4219 Hectare which was out- Side the allotted lease area, against which a total Rs 2,11,45,410 amount as penalty was imposed upon the Lessee. A part from it during The inspection of Director, Geology and mining Lucknow on 11.01.2021, 02 overloaded vehicles were apprehended/ caught at the lease area and thus as per the provisions of Rule 59(6) of the 1963 Rule RS 50,000/- was imposed upon the lessee. Thus, a total amount of Rs. 2,39, 06, 360/- became due upon the lessee. Therefore, vide letter No. 443/30-upkhaniz/2021 dated 03.02.2021 the mining operation was suspended and the lessee was instructed to deposit the said penalty.

Due to non-deposition of the Rs. 2,39,06,360/- which was imposed upon the lessee vide letter No. 443/30-upkhaniz/2021 dated 03.02.2021 [Annexure-6], the recovery certificate was issued vide Letter No. 584/30-upkhaniz/2021 dated 05.04.2021 [Anexuer-7]

(f) Against The Notice /letter dated 03.02.2021, the lessee filed revision before the state Government (Revision no. 48(R)SM/2021). The Revisional Authority vide order dated 09.08.2021 dismissed the revision and upheld the order dated 03-02-2021 passed by the District magistrate.

(g) The lessee filed a writ petition (miscellaneous single 18966/2021) before Hon'ble High court, Lucknow Bench against the order dated 09-08-2021 passed by the revisional Authority and notice dated 03.02.2021 passed by The District Magistrate. The Hon'ble High Court on 22.09.2021 (Annexure-8) passed an interim order that is:-

Scanned with OKEN Scanner

"As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50 % before the District Magistrate, Kanpur Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed."

(h) The lessee in pursuance of order passed by the Hon'ble High court dated 22.09.2021 deposited 50%. amount of the imposed penalty Rs. 2,39,06,360/-i.e Rs. 1,19,53,180/- through challan No. AKV 210012782 Dated 20-11-2021 [Annexure- 9] and furnished security of Rs 1,19,53,180/- After it vide order no. 1067/30-upkhaniz/2021 dated 13.12.2021 [Annexure 10] the lessee was allowed to resume the mining operation .

i) The lessee did not obtained CTO inspite of direction given by Regional officer, UPPCB, Kanpur, vide letter No 1243/sa.-218/22 dated 05.12.2022 [Annexure-11). Therefore, the District magistrate vide letter No 1690/30 upkhanız /2022 dated 13-12-2022[Annexure-12] suspended the mining operation.

(j) The Hon'ble High Court Lucknow Bench in Civil Missc writ petition No. 18966/2021 Vaishnavi Enterprises Vs State of U.P. and others again passed an order on 21.08.2023 [Annexure-13), whose operative portion are as below:-

15. This Court has perused the order of the Prescribed Authority from which it is evident that one of the materials for imposing the penalty upon the petitioner is the inspection report dated 13.1.2021. Even in the impugned order there is no averment that copy of the report dated 13.1.2021 was ever supplied and consequently there is no reason to disbelieve the stand of the petitioner. This ground was raised by the petitioner in the revision preferred before the State Government but despite raising this issue no finding has been returned by the revisional court nor the said ground has been considered.

16. In light of the above, both the impugned orders are set aside. The matter is remitted back to the District Magistrate, Kanpur Nagar to pass fresh order after taking into account the reply submitted by the petitioner including the reply dated 3.2.2021 before passing any final order Copy of the inspection report dated 13.1.2021 should be handed over to the petitioner expeditiously say within one week from the date a certified copy of this order is produced before him. The petitioner shall have two weeks thereafter to file reply to the said inspection report and the District Magistrate is further direction to pass fresh order expeditiously say within a period of six weeks from the date of submission of reply by the petitioner in accordance with law.

17. In light of the above, the petition stand allowed.

(K) In pursuance of order dated 21.08.2023 passed by Hon'ble High court, the lessee submitted his representation on 27.08.2023 and he requested to provide the inspection report dated 13.01.2021. Vide letter No. 224/30- upkhaniz /2023 dated 12.09.2023 [Annexure-14] The inspection report dated 13.01.2021 and 12.12 2020

Scanned with OKEN Scanner

was provided to the lessee. After that the lessee again presented his representation dated 18.09.2023 and requested The District Magistrate to pass a fresh order.

In compliance of the order Dated 21.08-2023 passed by Hon'ble High Court for passing fresh order, the lessee was given an opportunity of hearing. Hearing was done on 27-04-2024, 12-06-2024 and on 03-07-2024 and in order to pass a fresh order, the procedure is under process.

(L) The inspection report dated 02.04.2022 regarding the concerned lease area, was sent vide Letter No. 325/sa-106/22 dated 09.06.2022 [Annuexure-15) by Regional office, UPPCB, Kanpur for necessary action to the District magistrate. The Mining Officer, Kanpur Nagar vide letter No. 1464/30-upkhaniz dated 29.06.2022 [Annexure-16) issued notice to the lessee to submit his reply regarding the shortcomings which were mentioned in the inspection report dated 02.04.2022 of UPPCB, Kanpur. Lessee didn't submitted his reply. It is also pertinent to mention here That in pursuance of the inspection report dated 02.04.2022 Regional officer, UPPCB, Kanpur vide letter No. H-80639 dated 02.09.2022 [Annexure-17) imposed environmental compensation of RS. 4,29,37,500/-

(M) In violation of the provisions of Rule 59(3) of Minor Mineral concession Rules, 1963 regarding installation of 360° CCTV Camera in the Lease area, vide notice No. 1434/30-upkhaniz dated 08.05.2019 (Annexure-18) penalty of Rs 25,000/- was imposed upon the lessee, which the lessee deposited through chalan No. E-813231 dated 08.05.2019 (Annexure- 19)

(N) In pursuance of the joint inspection report dated 21-06-2022, for the additional mining of 769 cub meter done by the lessee vide letter 1532/30-upkhaniz/2022-23 dated 10-08-2022(Annexure-20] District magistrate issued the Notice to the lessee to deposit a sum of Rs.11,55,837/- The lessee filed revision [95/R/SM/2022) before the state Govt against the notice dated 10.08.2022), which is under consideration.

(0) As per the inspection report of SDM Bilhaur dated 07.12.2020 (Annexure-21), it was not found that the lessee has done mining by Constructing a dam in the main stream of River Ganga in the allotted lease area.

(p) The lease which was executed in favour of M/s vaishanavi Enterprises prop. Nagendra singh Resident of MIG-2, mahabalipuram, Kanpur Nagar has been expired on 06-04-2023.

Deponent

Verification

Verified at this the day of July 2024 that the contents of the above affidavit are based on that information derived from the official record and as such true and correct as per my knowledge and belief. no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent

Scanned with OKEN Scanner

A - 1

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)

P.S. (थाना): चौबेपुर   Year (वर्ष): 2020

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0338

Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 08/12/2020 18:31

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	277

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): रविवार   Date From (दिनांक से): 06/12/2020   Date To (दिनांक तक): 06/12/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 1   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 08/12/2020   Time (समय):18:31 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 039   Date & Time (दिनांक और समय): 08/12/2020 18:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 10 किमी   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): बालू खनन गंगा स्थल ,वाहद ग्राम कटरी अटवा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री कमला प्रसाद
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं॰):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	लेखपाल सुनौढा परगना ,व तहसील बिल्हौर,चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	लेखपाल सुनौढा परगना ,व तहसील बिल्हौर,चौबेपुर,पश्चिमी

Scanned with OKEN Scanner

2	स्थायी पता	(कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. **UIDB Number**

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी........थानाध्यक्ष चौबेपुर कानपुर नगर महोदय अवगत कराना है कि समाचार पत्र दैनिक जागरण मे प्रकाशित खबर दिनाँक 06.12.2020 शीर्षक गंगा की धारा मोडकर प्रवाह क्षेत्र मे खनन हुआ अटवा बन्दी माता घाट पर बालू निकालने को बन्धा लगाकर मोड दी गयी धारा के क्रम मे राजस्व टीम द्वारा जाँच की गयी जाँच के क्रम मे पाया गया कि साधारण बालू का खनन राजस्व ग्राम कटरी सुनौढा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के गाटा सं0 2 मि0 रक्बा 10.500 हेक्टेयर स्वीकृति खनन पट्टा

Scanned with OKEN Scanner

दिनाँक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक मे0 बैष्णवी इन्टर प्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 2 महावलीपुरम कानपुर नगर द्वारा मशीनो के सहयोग से किया जा रहा है। साधारण बालू खनन स्थल गंगा नदी की मुख्य धारा से लगभग 900 मीटर दूर स्थित पाया गया वास्तव मे दैनिक जागरण समाचार पत्र छपे फोटो की स्थिति निर्धारित बालू खनन स्थल से लगभग 700 मीटर पश्चिम दिशा मे स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवा तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की है जो वर्तमान मे सपाट रूप मे बन्धा पाया गया/ इस सपाट बन्धा के कारण खनन स्थल की और जाने जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से बनी उपशाखा मे जल का प्रवाह रूक गया जिससे कि पानी कलूषित (भ्रस्ट) हो गया। गंगा नदी मे जल का प्रवाह रोककर खनन होता नही पाया गया गंगा नदी की उपशाषा मे बने सपाट हल्के फुल्के बालू के ढेर हटवा दिये गये है। अतः राजस्व ग्राम कटरी अटवा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मे सपाट बंधा पाया गया जिसे अज्ञात व्यक्तियो द्वारा बनाया गया। अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का कष्ट करे। sd अंग्रेजी अपठनीय 08.12.2020 कमला प्रसाद लेखपाल सुनौढा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मो0नं0 9450447047 नोट मै सीसी शैलेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस का0 969 महेश कुमार से टाइप कराकर स्वयं चैक कर आनलाइन करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAMA SHANKAR PAL **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 980560046 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with OKEN Scanner

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name KRISHAN MOHAN RAI
Rank I (Inspector)
No. 012460553

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

Scanned with OKEN Scanner

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

Scanned with OKEN Scanner

A-2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : ACJM 1 माती कोर्ट (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
P.S. (थाना): चौबेपुर **Year(वर्ष):** 2020
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0338 **Date(दिनाँक):** 08/12/2020
2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01
3. **Date(दिनाँक):** 21/06/2021
4. **S.No. Acts(अधिनियम) Sections(धाराएँ)**

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	277

5. **Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):** आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):**
7. **If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):** मूल

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): Gopi Krishna Agrawal

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):0152302074

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
श्री कमला प्रसाद

(b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name नागेन्द्र सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): रावेन्द्र सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1981

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

Scanned with OKEN Scanner

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	113 एमआईजी 2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	113 एमआईजी 2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 21/06/2021
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	277

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्री कमला प्रसाद / 0		1975		वर्तमान पता: लेखपाल सुनौढा परगना ,व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: लेखपाल सुनौढा परगना ,व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट	शिकायतकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

					कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	
2	का0 3596 शैलेन्द सिह /	:			वर्तमान पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
3	नरेन्द कुमार शुक्ल /	:			वर्तमान पता: राजस्व निरीक्षक तहसील बिल्हौर,चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: राजस्व निरीक्षक तहसील बिल्हौर,चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
4	अवनीश कुमार तहसीलदार /	:			वर्तमान पता: तहसील बिल्हौर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तहसील बिल्हौर, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
5	रामप्रसाद /	पिता: मुंशी लाल			वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
6	शिवशकर /	पिता: राधेश्याम			वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
7	रामकुमार /	पिता: मुन्नी लाल			वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह

Scanned with OKEN Scanner

8	सत्य नरायन /	पिता: बलदेव		वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
9	छुन्नन /	पिता: राजबहादुर		वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
10	गोविन्द /	पिता: कल्लू		वर्तमान पता: अटवा ,चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: अटवा ,चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
11	उ0नि0श्री रामाशकर पाल /	:		वर्तमान पता: थाना चौबेपुर , चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर , चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्ष्य
12	उ0नि0 गोपीकृष्ण /	:		वर्तमान पता: थाना चौबेपुर , चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर , चौबेपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्ष्य

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा **182/211 / 217/248** बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी मुकद्मा उपरोक्त वादी श्री कमला प्रसाद लेखपाल सुनौढा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की लिखित तहरीर पर थाना हाजा में पंजीकृत होकर प्रारंभिक विवेचना उप निरीक्षक श्री रमाशंकर पाल द्वारा तथा उनके निलंबन के उपरांत विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय मुझ

Scanned with OKEN Scanner

उपनिरीक्षक को प्राप्त हुई। दौराने विवेचना अभियुक्त नागेंद्र सिंह पुत्र स्व0 रावेन्द्र सिंह निवासी 113 एमआईजी2 महाबलीपुरम थाना कल्याणपुर कानपुर नगर का नाम प्रकाश में आया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी निरीक्षण घटनास्थल बयान चश्मदीद गवाह व स्थानीय गवाह से अभियुक्त नागेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 रावेन्द्र सिंह निवासी 113 एमआईजी2 महाबलीपुरम थाना कल्याणपुर कानपुर नगर के विरुद्ध धारा 277 आईपीसी का अपराध बखूबी साबित है। अतः अभियुक्त नागेंद्र सिंह उपरोक्त का चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 110/2021 दिनांक 21/06/2021 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि साक्ष्य तलब कर उचित दंड देने की कृपा की जाए। विवेचना जरिये आरोपपत्र समाप्त की जाती है।

17.Refer Notice served नहीं **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 21/06/2021

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail
(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

Scanned with OKEN Scanner

23. **Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.**(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. **Result of trial** (मुकदमे का परिणाम) :

25. **Complete Punishment** (पूर्ण सजाएँ) :

25क. **Date** (दिनांक) :

25ख. **Place** (स्थान) :

25ग. **Punishment** (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): KRISHAN MOHAN RAI

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 012460553

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Gopi Krishna Agrawal

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 0152302074

Scanned with OKEN Scanner

A-3

अपर जिलाधिकारी (नगर)

महोदय,

आज दिनांक 05.12.2021 को आपके साथ करमी सुनौढ़ा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद-कानपुर नगर की गाटा सं० 2 मि० बालू खनन क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया गया साथ ही पट्टाधारक द्वारा किये गये बालू खनन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त खनन क्षेत्र के पट्टाधारक मैसर्स कौशाम्बी इण्टर प्राइजेस जोपरायन भोगेन्द्र सिंह नि० 113 एम० आई० जी० महावीरपुरम, थाना-कल्याणपुर द्वारा खनन क्षेत्र तक हाल रोड (कच्चा वाहनों गाड़ियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया, मापन में 10 मीटर चौड़ा व 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिट्टी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे-किनारे लम्बाई में मेड़ के रूप में रखा हुआ पाया गया, जिसको देखने से उक्त मिट्टी को प्रश्नगत स्थान से बाहर परिवहन किया गया है, अथवा नहीं स्पष्ट नहीं होता है। बनाए गये रास्ते के अंतिम छोर से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 500 मीटर है। खनन क्षेत्र का भी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि खनन क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया है।

संलग्नक: ① नजरी नक्शा
② फोटोग्राफ्स

05-12-21 खान निरीक्षक — 05/12/21 लेखपाल — 5.12.21 RI Sdr. — TL(S) 5/12/21 — 05.12.2021 के०पी० सिंह खान निरीक्षक कानपुर नगर

आख्यानुसार पत्रावली पर महोदय के समक्ष प्रस्तुत है

05/12/21.

A-4

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक– 1058 / तीस–उपखनिज / 2021 दिनांक:दिसम्बर, 09 ,2021

मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0 जी0–2
महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर

नोटिस

संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 05.12.2021 के अनुसार आप द्वारा पट्टा खनन क्षेत्र तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा के गाटा संख्या–2मि रकबा 10.50है0 में पहुचने हेतु हाल रोड (कच्चा रास्ता गाडियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया। मापन में 10 मीटर चौडा व 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिटटी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे–किनारे लम्बाई में मेड के रूप में रखा हुआ पाया गया।

आप द्वारा कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त रास्ता बनाये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गई थी, जो अनधिकृत खनन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आप द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के धारा 4, 21 व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58 का उल्लघंन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृत्य के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अथवा किये गये अनाधिकृत खनन 145मी0 लम्बाई, 10मी0 चौडाई, कुल क्षेत्रफल 1450 वर्गमीटर (0.145है0) का अर्थदण्ड रू0 72,500 / –(पॉच लाख रू0 प्रति हेक्टेयर) खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

A-5

Print Close

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV210014180**	Transaction Date:**09/12/2021**
Assessment Year:**2021-2022**	Tax Period: **ONETIME**
Name of the Bank:	*State Bank of India*
Unique Id:	
Depositor Name:	**NAGENDRA SINGH**
Depositor Address:	**113 MIG II MAHABALIPURAM KALYANPUR KANPUR**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	72500.00
	Totals of the above heads	--	72500.00

A SUM OF Rs. 72500.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositer Remarks->ONETIME FEES)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABFYUFW5, Scroll Date:-NA

Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPABFYUFW5 for status of the deposit.

Scanned with OKEN Scanner

2947

A-6

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

643 /सीस-उपखनिज/2021 दिनांक:03;02,2021

मे० वैष्णवी इन्टरप्राईजेज, प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम०आई०जी०-2
महाबलीपुरम कानपुर नगर

नोटिस

आपके पक्ष में तहसील बिल्हौर स्थित साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा संख्या-2मि0 रकबा 10.50हे0 में ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत था। आप द्वारा दिनांक 07.04.2018 को पट्टाविलेख का निष्पादन कराते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त खनन क्षेत्र का निरीक्षण निदेशक महोदया द्वारा दिनांक 11.01.2021 को किया था, जिसमें स्वीकृत खनन पट्टे के बाउण्ड्री के कोआर्डिनेट का सही चिन्हाकन न होने से क्षेत्र में हो रहे खनन की स्थिति का सही आकलन न हो पाने के कारण विस्तृत पैमाईश एवं खनन के सही आंकलन हेतु जॉच टीम का गठन किया गया था।

उक्त टीम द्वारा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति में क्षेत्र की पैमाईश पट्टा अनुबन्ध में दिये गये जियो कोआर्डिनेट्स के अनुसार की गयी तथा तदनुसार सीमा स्तम्भों को चिन्हित किया गया। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण पूर्व में उप जिलाधिकारी, बिल्हौर द्वारा दिनांक 11.12.2020 को भी किया गया था। उप जिलाधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 में 54219 घनमीटर अवैध बालू का खनन/परिवहन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या-1मि0 से रकबा 5.4219हे0 क्षेत्रफल में होना पाया गया था, जिसकी पुष्टि जॉच टीम के निरीक्षण ने हुई।

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-3, 57, 70 व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 एवं पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लघंन है।

उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या दिनांक 12.12.2020 एवं निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 14.01.2021 के अनुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या-1मि0 में रकबा 5.4219हे0 क्षेत्रफल से 54219 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन/परिवहन कर लिया गया है, जिसकी रायल्टी रू0-35,24,235.00, खनिज मूल्य रू0-1,76,21,175.00 (रायल्टी का पांच गुना) कुल रू0-2,11,45,410.00 (दो करोड ग्यारह लाख पैतालिस हजार चार सौ दस रू0 मात्र) एवं नियम-57 के अनुसार रू0-27,10,950.00 (पॉच लाख रू0 प्रति हक्टेयर की दर से) अर्थदण्ड होता है। साथ ही दिनांक 11.01.2021 को निदेशक महोदया के निरीक्षण के दौरान आपके खनन क्षेत्र से 02 ओवरलोड वाहन पकड कर थाना बिठूर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिसमें प्रति वाहन, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-59(6) के अर्न्तगत प्रत्येक चूक पर रू0-25,000.00 की दर से शास्ति रू0-50,000.00 आरोपित किया जाता है। इस प्रकार आप पर कुल रू0-2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त देय धनराशि रू0-2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0) नोटिस प्राप्ति तिथि से 15 दिवस के अन्दर जमा करे एवं समस्त देय धनराशि जमा किये जाने तक आपका खनन कार्य प्रतिबन्धित किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-

1-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
2-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3-क्षेत्राधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4-तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को नोटिस तामील कराकर कर नामीना की एक प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर।

पत्रांक- 456 /एस0टी0-विविध/20 दिनांक-दिसम्बर 12 ,2020

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
कानपुर नगर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम सुनौढ़ा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में स्वीकृत खनन पट्टे के सम्बन्ध में खनन सीमा से अधिक या बाहर तो नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच हेतु तहसीलदार बिल्हौर के निर्देशन में दिनांक 10.12.2020 को राजस्व टीम गठित की गयी थी। जिसमें राजस्व टीम द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.12.2020 को प्रेषित की गयी कि राजस्व ग्राम कटरी सुनौढ़ा में साधारण बालू खनन के सम्बन्ध में गाटा सं0 02मि0 रकबा 10.500हे0 भूमि का पंचवर्षीय पट्टा (दिनांक 07.04.18 से दिनांक 06.04.2023) वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 02 महाबलीपुरम कानपुर नगर को स्वीकृत हुआ है। राजस्व ग्राम कटरी सुनौढ़ा की गाटा सं0 02मि0 रकबा 10.500हे0 भूमि का सीमांकन जी0पी0एस0 तथा जरीब/गुनिया के सहयोग से किया गया। सीमांकन किये जाने से यह तथ्य प्रकाश में आये कि खनन गाटा सं0 01 में भी किया गया है। दिनांक 11.12.2020 को जांच के दौरान खनन गाटा सं0 01 पर किया जा रहा था, जो दिनांक 12.12.2020 को समतल करा दिया गया। खनन का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	गाटा सं0	खनन हेतु स्वीकृत रकबा	साधारण बालू के खनन का विवरण (घन फिट में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	01मि0	—	1914725घनफिट (54219 घनमीटर लगभग)	
2.	02मि0	10.500हे0	466153घनफिट (13200घनमीटर लगभग)	

क्रमांक 02 पर अंकित गाटा सं0 02मि0 रकबा 10.500हे0 में से 1.3200हे0 (466153घनफिट) साधारण बालू खनन स्वीकृत पट्टा में पाया गया, जोकि सही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि गाटा सं0 02मि0 में से 10.500हे0 भूमि स्वीकृत साधारण बालू खनन हेतु में 1.500हे0 ही साधारण बालू खनन हेतु उपयुक्त है। शेष भूमि जलभराव एवं मिट्टी से युक्त है। गाटा सं0 01मि0 रेता के रूप में दर्ज अभिलेख है। इसी गाटा सं0 01मि0 में रकबा 5.4219हे0 (1914725घनफिट) का साधारण बालू का खनन मे0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 113 महावलीपुरम कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अवैध रूप से किया गया है।

अतः गाटा सं0 01मि0 रकबा 5.4219हे0 (1914725 घनफिट) अवैध साधारण बालू का खनन मे0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 113 एम0आई0जी0 महावलीपुरम कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा किया गया है।

तहसीलदार बिल्हौर की आख्या की प्रति साथ में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।

उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कानपुर नगर

Scanned with OKEN Scanner

A-7

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक 584/तीस–उपखनिज/2021

दिनांक:अप्रैल,05,2021

वसूली प्रमाण पत्र

प्रभारी अधिकारी (संग्रह)
कानपुर नगर।

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 31.03.2021 के अनुपालन में पट्टाधारक मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी–113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कानपुर नगर द्वारा गाटा संख्या–01मि0 के रकबा 5.4219हे0 मे किये गये 54219 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन की कुल धनराशि रू0 2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0) की वसूली बतौर बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल कर सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करें।

पट्टाधारक का नाम	धनराशि	ब्याज	योग
मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113, एम0आई0जी0–2 महाबलीपुरम, कानपुर नगर	2,39,06,360/– (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0)	–	2,39,06,360/–

अतः वसूली प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित तहसील से उक्त धनराशि की वसूली कराकर लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग 102 खनिज रियायती फीस सम्बन्धी किरायें और रायल्टी के लेखाशीर्षक में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर–नगर

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

A-8

Court No. - 19

Case :- MISC. SINGLE No. - 18966 of 2021

Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology & Mining,Lko.& Ors.
Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht,Gagan Katyayan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Jaspreet Singh,J.

Heard Sri J.N. Mathur, learned Senior Counsel assisted by Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner and Sri Rakesh Bajpai, learned counsel for the State-respondents.

By means of the instant petition, the petitioner assails the order dated 09.08.2021 passed in Revision No. 48 (R)/SM/2021 whereby the Revisional Authority has upheld the order dated 14.01.2021 passed by the Director, Directorate of Geology and Mining as well as the order dated 03.02.2021 passed by the District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar.

The submission of learned Senior counsel for the petitioner is that in pursuance of the show cause notice dated 22.12.2020, the petitioner was called upon to reply within a period of 15 days regarding an alleged charge of illegal mining. It is submitted that the aforesaid show cause notice is based upon an inspection said to have been conducted by the Authorities on 12.12.2020, however, no notice of the same was given to the petitioner.

It is further been urged that later another inspection was made on 11.01.2020 which is followed by another inspection dated 13.01.2021. Taking note of the aforesaid, the respondent no. 2 passed the order dated 14.01.2021 holding that the charge of illegal mining against the petitioner was prima facie established and also directed the respondent no. 3 to pass appropriate orders restraining further mining in respect of the lease granted to the petitioner.

It is also urged that in furtherance of the order dated 14.01.2021, the respondent no. 3 has passed the order dated 03.02.2021 wherein it has relied upon the aforesaid inspections as mentioned above and an amount of Rs. 2,39,06,360/- have been found outstanding against the petitioner for illegal mining and the same was required to be deposited within a period of 15 days.

Scanned with OKEN Scanner

Being aggrieved against the aforesaid orders dated 14.01.2021 and 03.02.2021, the petitioner preferred a Revision before the State in terms of Rule 78 of the Uttar Pradesh Mining Mineral (Concession) Rules, 1963. It is further submitted that the Revision also came to be dismissed by means of order dated 09.08.2021.

The submission of learned Senior Counsel for the petitioner is that the order dated 03.02.2021 passed by the respondent no. 3 is primarily based on the order dated 14.01.2021 passed by the Director i.e. respondent no. 2. These two orders which were under challenge in the aforesaid revision was decided by the same person who was the Director. It is submitted that under the Rules of 1963, the revisional power is conferred upon the State to hear the Revision both against the orders passed by the District Officer as well as against the order passed by the Director.

It is in this view of the matter where the Revision was before the same person who as Director had passed the order dated 14.01.2021, hence, it was not appropriate for the said person to sit over its own order in Revision.

It has also been urged that the entire proceedings are based on the show cause notice dated 22.12.2020 which in turn is based on the inspection dated 12.12.2020. The petitioner has not been afforded adequate opportunity of hearing, inasmuch as, the inspection dated 12.12.2020 was behind their back. Moreover, their reply to the show cause has also not been considered.

It is also urged that the subsequent inspections were also not informed to the petitioner and even while passing the order dated 14.01.2021, no notice was issued especially when it was accompanied by evil consequences of prohibiting the petitioner to carry out the mining as well as the order dated 03.02.2021 which imposed a huge penalty for the alleged charge of illegal mining. It is in the aforesaid backdrop it is submitted that the manner in which the entire proceedings have been held are violative of principles of natural justice and arbitrary and thus requires interference.

Sri Bajpai, learned counsel appearing for the State-respondent submits that in so far as the inspection is concerned, it was on the instance of the petitioner, an application was moved on 16.12.2020 required demarcation to be done. The demarcation order was passed on 12.01.2021 in furtherance thereof the demarcation was actually done on 13.01.2021.

It is further urged that the aforesaid demarcation was done in

Scanned with OKEN Scanner

presence of the representative of the petitioner and moreover even adequate opportunity was granted to the petitioner while issuing a show cause notice dated 22.12.2020, it was open for the petitioner to have responded but since they did not respond to the same, accordingly, the State Authorities have proceeded. Once, it was found that the petitioner had indulged in illegal mining, the penalty for such act was calculated and in terms thereof the impugned order dated 03.02.2021 has been passed. The Revisional Court also noticed the same and did not find favour with the submissions of the petitioner, hence, accordingly, the revision was dismissed.

It has also been urged by Sri Bajpai that in so far as the issue of illegal mining is concerned it was established in the first inspection dated 12.12.200 which was also corroborated in the subsequent inspection held on 12.01.2020.

As far as the plea raised by the petitioner that Revision has been decided by the same Authority who was acting as the Director who had passed the order impugned dated 14.01.2021, it is submitted that in light of the decision of the Apex Court in the case of ***J. Mohapatra and Company and Another Vs. State of Orissa and Another*** reported in ***1984 (4) SCC 103***; ***P.T. Dinakaran Vs. Judges Inquiry Committee and Others*** reported in ***2011 (8) SCC 380*** and ***Union Of India and Others Vs. Vipan Kumar Jain and Others*** reported in ***2005 (9) SCC 579***, the said plea is not available.

It is urged that first and foremost the petitioner did not raise this issue before the Revisional Authority and therefore it amounts to waiver. It is further urged that by raising this plea for the first time in the Writ Petition and not before the Revisional Authority, it also indicates delay in raising the aforesaid plea and thus for all the reasons it is not sufficient to set aside the order simplicitor on the aforesaid plea.

Having heard the learned counsel for the parties and from the perusal of the record, apparently, the matter requires consideration.

In the aforesaid facts and circumstances, let the State file a counter affidavit within a period of two weeks. The petitioner shall have two weeks thereafter to file its rejoinder affidavit.

List this matter on ***08.11.2021***.

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50 % before the District Magistrate, Kanpur

Scanned with OKEN Scanner

Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

Order Date :- 22.9.2021

Asheesh

Authenticated Copy

Mishra
24.9.2021

Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

Scanned with OKEN Scanner

Print Close

A-9

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV210012782**	Transaction Date:**20/11/2021**
Assessment Year:**2021-2022**	Tax Period: **ONETIME**
Name of the Bank:	***State Bank of India***
Unique Id:	
Depositor Name:	**VAISHNAVI ENTERPRISES NAGENDRA SINGH**
Depositor Address:	**113 MIG MAHABALIPURAM PANKI KALYANPUR KANPUR 208017**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
0853001020100000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	12000000.00
	Totals of the above heads	--	12000000.00

A SUM OF Rs. 12000000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE –[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON State Bank of India HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR. (Depositer Remarks->HONORABLE HIGH COURT ORDERED ON DATED 22 09 2021 RIT NUMBER 18966 2021) THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABFBKQH9, Scroll Date:-NA

Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPABFBKQH9 for status of the deposit.

सत्यापित
20.11.2021

Scanned with OKEN Scanner

A-10

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक या/067 तीस–उपखनिज / 2021 दिनांकःदिसम्बर,13 ,2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या – 18966 / 2021 मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50 persent of the amount and furnish a security for the remaning 50 persent before the District Magistrate, kanpur nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर द्वारा पट्टा क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या–1मि0 के रकबा 5.4219हे0 से 54219 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन की कुल धनराशि रू0–2,39,06,360.00 का 50 प्रतिशत धनराशि रू0–1,20,00,000.00 चालान संख्या–AKV 210012782 दिनांक 20.11.2021 द्वारा राजकोष मे जमा करा दिया गया है तथा 50 प्रतिशत धनराशि रू0–1,19,53,180.00 की जमानत के तौर पर 03 वाहनो कमशः यू0पी0–78डी0 टी0–8726, यू0पी0–78एफ0एन0–7953 व यू0पी0–78 एफ0एन0–7954 की मूल पंजीयन अभिलेख एवं एक अन्य वाहन HUNDAI कम्पनी की R215L Smart Hydraulik Excavater की मूल बीजक प्रस्तुत की गयी। जिनके कराये गये मूल्य निर्धारण के अनुसार उक्त 04 वाहनो की कुल वर्तमान कीमत रू0–1,11,16,600.00 थी, जो 50 प्रतिशत धनराशि से रू0–8,36,580.00 कम थी। जमानत की धनराशि कम होने पर मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 01.11.2021 को वाहन रोड रोलर यू0पी0–78 जी0एन0–6250 जिसकी वर्तमान कीमत रू0 18,90,000 /– की मूल पंजीयन पुस्तक कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जा चुका है। पट्टाधारक द्वारा मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.09.2021 के अनुपालन उपरान्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 11.12.2021 के कम पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महावलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा सख्या–2मि0 रकवा 10.50हे0 स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू खनन / परिवहन करने की अनुमति प्रदानकी जाती है। पट्टाधारक को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 एवं पट्टाविलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–सचिव महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2–निदेशक महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3–जिलाधिकारी महोदय, सादर सूचनार्थ।
4–पुलिस अधीक्षक आउटर, कानपुर नगर।
5–अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), कानपुर नगर।
6–उप जिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।
7–पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113, एम0आई0जी0–2, महावलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर को अनुपालनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

A-11

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
कानपुर नगर

संदर्भ- 1243/सा0-218/22 दिनांकः- 05/12/22

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय,
कानपुर नगर

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महोदय द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्राम—कटरी सूनोढा, तहसील—बिल्हौर, जनपद—कानपुर नगर के गाटा सं0—2मि0 रकवा 10.5 हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी—113, एम0आई0जी0—2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्र सं0—एच—85021/सी—2/एन0जी0टी0—ओ0ए0—176/22, दिनांक 02.12.2022 (संलग्न) जारी किया गया है, जिसकी प्रति जिलाधिकारी महोदय को भी पृष्ठांकित की गयी है, के तत्क्रम में सूचित कराना है कि उक्त बालू खनन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी। प्रकरण मा0 अधिकरण में विचाराधीन है।

यह अस्तु है कि पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक 174/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (ई0सी0), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ निर्गत की गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, के आलोक में उक्त खनन परियोजना/पट्टा धारक के विरूद्ध नियमानुसार निषेधात्मक संबंधी कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

अतः पत्र इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत् प्रकरण पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु संबन्धित विभाग को आन्तरित करना चाहें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ सादर प्रेषित—

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. जिला खनन अधिकारी, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

1A-12

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक- 1890 /तीस-उपखनिज/2022 दिनांकः दिसम्बर, 13 ,2022

मैं० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज,
प्रो० नागेन्द्र सिंह, निवासी-113, एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम,
कल्यानपुर, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्र सं0-1243/ सा० -218/22 दिनांक 05.12.2022 में उल्लेखित किया गया है कि "तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा सं0-2मि0 रकवा 10.50हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्र सं0-एच-85021 /सी-2/एन0जी0टी0-ओ0ए0-176/22 दिनांक 02.12.2022 निर्गत किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, के आलोक में उक्त खनन परियोजना/पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार निषेधात्मक सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।"

उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से जनपद के गंगा नदी तल स्थित तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा सं0-2मि0 रकवा 10.50हे0 साधारण बालू खनन क्षेत्र के पट्टा विलेख का निस्पादन दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 (05 वर्ष) तक की अवधि हेतु तक आपके पक्ष में दिनांक 07.04.2018 को किया गया था। आपके के पक्ष में निस्पादित पट्टाविलेख की शर्तो में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा। किन्तु क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के साथ-साथ पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र (सी0टी0ओ0) प्राप्त नहीं किये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 7.12.2022 के क्रम में आपके खनन पट्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर ।
4. उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।
5. खनन अधिकारी, कानपुर नगर।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

on't tamper with the barcode.
:o be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages
78885 of 2023	26.8.2023	WRIC	18966	2021	Lucknow	21.8.2023	15.0	5

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- 26.8.2023 Name :- OM HARSH YADAV Designation :- Section Officer Employee No. :- E7269 **Date of Printing**:- 26.8.2023	Signature :- 26.08.2023 Name :- Amit Mishra Designation :- Section Officer Employee No. :- 7232 **Authenticated Copy ready on**:- 26.08.2023	26.8.2023

Scanned with OKEN Scanner

Neutral Citation No. - 2023:AHC-LKO:55363

Court No. - 17

Case :- WRIT - C No. - 18966 of 2021

Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology And Mining Lko.And Ors.
Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht,Gagan Katyayan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Alok Mathur,J.

1. Heard Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner as well as learned Standing counsel on behalf of the respondents.

2. By means of the present petition the petitioner has challenged the order dated 3.2.2021 passed by District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar thereby imposing an amount of Rs.2,39,06,360/- as charges for illegal mining and penalty as well as order dated 9.8.2021 passed by the State Government in exercise of its revisional powers.

3. It has been submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner was granted mining lease on 7.4.2018 after obtaining all the clearances including the environmental clearance. On 6.12.2020 an inspection was carried out by Mining Officer, Kanpur Nagar, which submitted a report that petitioner No.1 carried out mining activities outside the area allotted to him and subsequently another inspection was carried out after few days wherein it was alleged that petitioner No.1 had carried out illegal mining of 5.4219 hectare outside the mining area. Accordingly show cause notice was issued on 22.12.2020 to the petitioner who submitted its reply with regard to the allegations of illegal mining outside the mining area. The petitioner submitted a belated reply on 1.2.2021 and denied the allegations leveled in the notice. Another inspection was carried out on 11.1.201. In the said inspection dated 11.1.2021 it was found that it was difficult to determine the mining site correctly and hence team was sought to be constituted. The team was accordingly constituted which conducted inspection on 12.1.2021 and submitted report on 13.1.2021. The said report was never communicated to the petitioner and merely on the basis of the report dated 13.1.2021 the District Magistrate/District Officer passed order dated 3.2.2021 holding that the petitioner had, in fact, conducted illegal mining in an

Scanned with OKEN Scanner

are not allotted to him and imposed penalty to the tune of Rs.2,39,06,360/-.

4. It is further submitted by learned counsel for the petitioner that Director, Geology and Mining, U.P., Lucknow by means of order dated 14.1.2021 had directed the District Magistrate to initiate punitive action against the petitioner for illegal mining and directed the District Magistrate to take appropriate steps for realizing the charges and valuation of the excess mining conducted by the petitioner in accordance with law.

5. Aggrieved by the said order dated 3.2.2021 the petitioner had filed a revision before the State Government which incidentally has been decided by Dr. Roshan Jacob who herself was the author of the letter dated 14.1.2021and on whose letter the proceedings against the petitioner were initiated. In the said revisional order the petitioner had stated that copy of the inspection report dated 13.1.2021 was never supplied to him and even the reply submitted by them on 13.2.2021 which was before the District Magistrate was not taken into consideration while imposing the penalty against the petitioner. The revisional court admitted that reply of the petitioner was before the District Magistrate but because it was submitted beyond the prescribed time, the same was not liable to be considered.

6. The second aspect that the inspection report dated 13.1.2021 was never supplied to the petitioner was specifically taken by him as mentioned in the paragraph 39 of the revision but no finding in this regard was recorded or considered by the revisional authority.

7. Learned counsel for the petitioner has vehemently stated that matterial consideration before the Prescribed Authority with regard to illegal mining against the petitioner was the inspection carried out on 12.1.2021 resulting in report dated 13.1.2021 on the basis of which it was concluded that the petitioner has indulged in illegal mining. The material documents reliance of which was taken note of by the District Magistrate while passing the order dated 3.2.2021 was never supplied to the petitioner and consequently the petitioner was severely prejudiced in as much as the finding was recorded without giving proper opportunity to the petitioner to defend himself. Even when the petitioner had raised these points before the revisional authority the same was neither considered and the revision was rejected.

8. Learned Standing counsel, on the other hand, has defended both the impugned order. He submits that proper opportunity was given to the petitioner before passing the impugned order

Scanned with OKEN Scanner

dated 3.2.2021 the reply of the petitioner was was duly considered while passing the said order and the second reply submitted by the petitioner was received in the office of the District Magistrate on the same day on which order dated 13.2.2021 was passed and as the same was belated reply the same was not considered.

9. I have heard learned counsel for the parties and perused the records.

10. The first question which requires consideration is as to whether the impugned order can be sustained in light of the fact that it was at the behest of Director, Geology and Mining, U.P. Civil Secretariat, Lucknow that the proceedings for illegal mining were initiated against the petitioner. The petitioner had preferred a revision before the State Government was referred to and was decided by Director, Geology and Mining U.P., Lucknow which post was held by Dr. Roshan Jacob who having herself participated in the said proceedings by passing necessary direction to the District Magistrate to initiate proceedings against the petitioner. She should not have decided the revision against the order of the District Magistrate and this Court is of the considered view that the impugned revisional order dated 9th August, 2021 is hit by the vice of bias and this aspect is very clear that no person can be a judge of his / her own cause. The Director Mining and Geology had initiated the proceedings and had the inspection conducted and forwarded all the documents to the District Magistrate for taking action and consequently could not have herself decided the revision against the order of District Magistrate.

11. In the case of ***A. K. Kraipak & Ors. Etc vs Union Of India & Ors, 1969 (2) SCC 262*** Hon'ble Supreme Court has held as under:-

"It is true that ordinarily the Chief Conservator of Forests in a State should be considered as the most -appropriate person to be in the selection board. He must be expected to know his officers thoroughly, their weaknesses as well as their strength. His opinion as regards their suitability for selection to the All India Service is entitled to great weight. But then under the circumstances it was improper to have included Naquishbund as a member of the selection board. He was one of the persons to be considered for selection. It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause. It is true that he did not participate in the deliberations of the committee when his name was considered. But then the very fact that he was a member of the selection board must have had its own impact on the decision of the selection board. Further admittedly he

Scanned with OKEN Scanner

participated in the deliberations of the selection board when the claims of his rivals particularly that of Basu was considered. He was also party to the preparation of the list of selected candidates in order of preference. At every stage of this participation in the deliberations of the selection board there was a conflict between his interest and duty. Under those circumstances it is difficult to believe that he could have been impartial. The real question is not whether he was biased. It is difficult to prove the state of mind of a person. Therefore what we have to see is whether there is reasonable ground for believing that he was likely to have been biased. We agree with the learned Attorney General that a mere suspicion of bias is not sufficient. There must be a reasonable likelihood of bias. In deciding the question of bias we have to take into consideration human probabilities and ordinary course of human conduct. It was in the interest of Naqishbund to keen out his rivals in order to secure his position from further challenge. Naturally he was also interested in safeguarding his position while preparing the list of selected candidates."

12. In light of the above, this Court is of the considered opinion that the revisional order is illegal and arbitrary and hit by the vice of bias.

13. The second ground raised by the petitioner is that the Prescribed Authority prior to passing of the impugned order dated 3.2.23021 had got another inspection conducted on 12.1.2021 report of which was submitted on 13.1.2021which formed the basis of the order of imposition of cost and penalty for the alleged illegal mining done by the petitioner.

14. The petitioner has stated that the report dated 13.1.2021 was never supplied and consequently the petitioner was prejudiced in as much as the relevant documents were never supplied in absence of which the impugned order has been passed in gross violation of principles of natural justice.

15. This Court has perused the order of the Prescribed Authority from which it is evident that one of the materials for imposing the penalty upon the petitioner is the inspection report dated 13.1.2021. Even in the impugned order there is no averment that copy of the report dated 13.1.2021 was ever supplied and consequently there is no reason to disbelieve the stand of the petitioner. This ground was raised by the petitioner in the revision preferred before the State Government but despite raising this issue no finding has been returned by the revisional court nor the said ground has been considered.

16. In light of the above, both the impugned orders are set

Scanned with OKEN Scanner

aside. The matter is remitted back to the District Magistrate, Kanpur Nagar to pass fresh order after taking into account the reply submitted by the petitioner including the reply dated 3.2.2021 before passing any final order Copy of the inspection report dated 13.1.2021 should be handed over to the petitioner expeditiously say within one week from the date a certified copy of this order is produced before him. The petitioner shall have two weeks thereafter to file reply to the said inspection report and the District Magistrate is further direction to pass fresh order expeditiously say within a period of six weeks from the date of submission of reply by the petitioner in accordance with law.

17. In light of the above, the petition stand **allowed.**

Order Date :- 21.8.2023 **(Alok Mathur, J.)**
RKM.

Authenticated Copy
26.08.2023
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
Lucknow

Digitally signed by :-
RAKESH KUMAR MAURYA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench

Scanned with OKEN Scanner

A-14

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 224 /तीस–उपखनिज/2023 दिनांक:सितम्बर 12 ,2023

श्री नागेन्द्र सिंह,
प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
निवासी 113 एम0आई0जी0–2
महावलीपुरम, कानपुर नगर।

कृपया आप द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित प्रार्थना पत्रों दिनांक 27.8.2023 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में श्री नागेन्द्र सिंह प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस जांच आख्या दिनांक 13.01.2021 उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशक भूतत्व खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिंनाक 12.1.2021 के अनुपालन में तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौढ़ा के गाटा संख्या 02मि0 रकवा 10.50है0 के साधारण बालू का खनन पट्टा क्षेत्र का सयुंक्त निरीक्षण दिनांक 13.1.2021 सर्वेक्षक हमीरपुर, खान निरीक्षक कानपुर नगर, खान अधिकारी मुख्यालय तथा तहसीलदार बिल्हौर की आख्या दिनांक 13.1.2021 की प्रति एंव उक्त आख्या में उल्लखित उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या दिनांक 11.12.2020 जिसमें 54219घनमीटर अवैध बालू का खनन स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर होना पाया गया था जिसकी पुष्टि आख्या दिंनाक 13.1.2021 में की गयी थी, की प्रति मा0 न्यायालय के आदेश दिनाक 21.8.2023 के अनुपालन में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त उललिखित आख्या दिंनाक 13.1.2021 एंव दिंनाक 12.12.2020 में उल्लखित अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 14 दिनो के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि मा0 उच्च उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिंनाक 21.8.2023 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जा सकें ।

संलग्नक– यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।
0%

प्रतिलिपि–
जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।

1- जांच आख्या दिनांक 13-1-2021
2- उप जिलाधिकारी बिल्हौर द्वारा पत्र संख्या 446/ST/AA/20 दिनांक 12-12-2020 एवं तहसीलदार की आख्या ……
उपरोक्त दोनों आख्या मैं प्राप्त करता हूँ
CNagendra Singh
12/9/2023

A-15

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

325/क्षेत्रा-106/22

दिनांकः- 9/6/22

सेवा में,

खान अधिकारी,
कानपुर नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ करने का कष्ट करें। सन्दर्भित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में जिला प्रशासन कानपुर नगर तथा उन्नाव व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर स्थित बालू खनन स्थल का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर समिति की संस्तुति के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा कार्यवाही आख्या से इस कार्यालय को सूचित किये जाने के आशय से आपको प्रेषित की जा रही है। जिससे कि मा0 अधिकरण को कार्यवाही आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 ए0के0 माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

mc
उ0प्र0 कार्यवाही करें
16.6.2022

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Jajmau_Letter Head_Himanshu

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः-1464/तीस-खनिज/2022-23 दिनांकःजून, 29, 2022

मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0-113, एम0आई0जी0-2
महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

नोटिस

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कानपुर के पत्र सख्या-325/सा-106/22 दिनांक 09/06/2022 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश के कम में गठित जॉच कमेटी द्वारा ग्राम कटरी सुनौढा, तहसील बिल्हौर के गाटा सख्या-2मि0 में आपके पक्ष में स्वीकृत साधारण बालू पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जॉचोपरान्त कमेटी द्वारा निम्न कमियॉ पाई गयी है :-

"Project proponent has not taken any significant measures for environmental safeguard and also not made any efforts/initiatives for conducting activites under CSR."

" Compliance of conditions of Environmental Clearance issued by SEIAA are not found."

" The Committee is in view that the lease holder may be directed to comply the conditions of Environmental Clearance and mining deed. Environmental compensation may be imposed for violation of various Norms and degradation of surrounding environment."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय आपकी होगी।

(के0बी0 सिंह)
खान अधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-

1-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2-क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-तहसीलदार सदर को नोटिस दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पर तत्काल एक प्रति तामीला उपरान्त द्वितीय प्रति वापस करने का कष्ट करें।

खान अधिकारी,
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD A-17

HB0637 / विधि / OA-171/22 / 2022

दिनांक
Date 02-9-22

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0जी0-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर,
कानपुर नगर।

विषय- ग्राम-कटरी सुनौढ़ा, तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर के गाटा सं0-2मि0 रकबा 10.5 हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि ग्राम-कटरी सुनौढ़ा, तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर के गाटा सं0-2मि0 रकबा 10.5 हे0 मे साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113 एम0आई0जी0-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर को State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh के पत्रांक 174/Parya/SEAC/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिये 2,10,000 घनमीटर/वर्ष बालू खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गयी है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर के पत्रांक 225/तीस-उपखनिज/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा खनन हेतु, अवधि दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक के लिये स्वीकृत प्रदान की गयी थी। जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 443/तीस-उपखनिज/2021, दिनांक 03.02.2021 द्वारा उक्त खनन कार्य को प्रतिबन्धित कर दिया गया था, जिसे पुनः पत्रांक 1067/तीस-उपखनिज/2021, दिनांक 13.12.2021 द्वारा साधारण बालू खनन/परिवहन करने की अनुमति को पुनर्स्थापित (Restore) किया गया।

उक्त बालू खनन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी है। प्रकरण माननीय अधिकरण में विचाराधीन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक 174/Parya/SEAC/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (E.C.), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ निर्गत की गयी है। कार्यालय अभिलेखो के अनुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु बोर्ड से सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त नहीं की गयी है, जो उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.04.2022 एवं अभिलेखों के अनुसार परियोजना स्वामी द्वारा बालू खनन का कार्य दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 03.02.2021 तक कुल 1034 दिवस तथा दिनांक 13.12.2021 से 02.04.2022 तक 111 दिवस अर्थात कुल 1145 दिवसों में पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बंध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37500/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (pollution index)=80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Large)=1.5, LF (Location Factor)= 1.25 for population between 1 to 5 million. लिया गया है। अतः कुल उल्लंघन दिवस 1145 के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37500 X 1145= 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) आंकलित होती है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा बालू खनन परियोजना मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरूद्ध कुल 1145 दिवस हेतु धनराशि रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं सस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त **मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर पर रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 30 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Scanned with OKEN Scanner

A-18

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-1434/तीस-उपखनिज/2019

दिनांकःमई,08,2019

मे0 वैष्णवी इन्टर प्राइजेज,
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
नि0 एम0आई0जी0-2 महाबलीपुरम,
जनपद कानपुर नगर।
पट्टाधारक बालू खनन क्षेत्र कटरी सुनौढा तहसील बिल्हौर

नोटिस

शासनादेश सं0-1875/86-2017-57(सा0)टीसीआई/2017 दिनांक 14.08.2017 के अर्न्तगत आपके पक्ष में ग्राम कटरी सुनौढा गाटा संख्या- 2मि0 रकबा 10.5हे0 में साधारण बालू के खनन हेतु पॉच वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 तक स्वीकृत है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0) लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 29.04.2019 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन की जॉच हेतु जनपद जालौन, झॉसी, कानपुर नगर/कानपुर देहात हेतु 01.05.19 से 10.05.2019 तक प्रवर्तन दल के अधिकारी के रूप में श्री नरेन्द्र कुमार प्राविधिक सहायक (रसायन) को नामित किया गया है कि जॉच आख्या दिनांक 05.05.2019 के अनुसार आपके स्वीकृत खनन क्षेत्र की जॉच में यह उल्लेख किया गया है कि बालू खनन पट्टा क्षेत्र कटरी सुनौढा का निरीक्षण किया गया जिसमें खनन पट्टा संचालित पाया गया बालू खनन क्षेत्र में सीमाकंन दर्शाने के लिये लाल झण्डी लगी पाई गई साथ ही खनन क्षेत्र पर खनिज मूल्य को दर्शाने वाला बोर्ड लगा पाया गया परन्तु बालू खनन क्षेत्र में खनन संक्रियाओ की मॉनिटरिंग हेतु लगे सी0सी0टी0 कैमरा खराब पाया गया।

सी0सी0टी0 कैमरा खराब पाया जाना उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के 35 (2) उल्लंघन है। जिसके लिये उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 59 (3) के अर्न्तगत यदि पट्टा धारक नियम-35 के उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रू0 25000/- की शास्ती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदग्रहित की जायेगी। ऐसी उदग्रहित शास्ती को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कत के आरोप में तत्काल आरोपित धनराशि रू0 25,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करते हुये चालान की एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे कि किन परिस्थियो में आप द्वारा सी0सी0टी0 कैमरे नही अनुरक्षित किये गये, अन्यथा आपके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वंय होगें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि- तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को नोटिस तामील कराकर कर तामीला की एक प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

A-19

कोषागार प्रपत्र – 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2

प्रपत्र संख्या – 8 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... SBI ...... KNP (N)

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक) हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... प्रो० श्री नागेन्द्र ...... प्राइवेट
2. पता ....
3. पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .... जुर्माना C.C.T.V.
4. जमा की जा रही धनराशि का विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... चालू न होने के कारण – ...... (गोण्डा)
5. चालान की सकल राशि .... Rs 25000/=
6. चालान की निबल राशि ....
7. लेखाशीर्षक का पूरा विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर 0853
8. लेखा – शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उपमुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0853	00	102	00	01	25000/

8/5/19

धनराशि (शब्दों में) ...... पच्चीस हजार मात्र ...... योग 25000/-

चालान में लेख शीर्षक का पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

8/5/19

चालान संख्या ....

दिनांक ....

E 813231

आ०र०मो०सं० ....

प्राप्त किया हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक की मुहर सहित

A-20

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-1532/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक:अगस्त .10, .2022

मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0-113, एम0आई0जी0-2
महाबलीपुरम, कल्याणपुर, कानपुर नगर।

नोटिस

आपके पक्ष मे तहसील बिल्हौर स्थित साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा संख्या-2मि0 रकबा 10.50है0 में ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा का पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 07.04.2018 को कराते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। आपको इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 1460/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 27.06.2022, नोटिस संख्या 1469/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 05.06.2022 एवं नोटिस संख्या 1472/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 07.07.2022 निर्गत किया गया, जिसमें आप द्वारा दिनांक 29.06.2022, 07.07.2022 एवं 16.07.2022 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। आप द्वारा प्रस्तुत लिखित जबाव/पक्ष मनगढंत, एवं निराधार तथा तथ्यात्मक न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

संयुक्त जॉच टीम की आख्या दिनांक 21.06.2022 एवं खान अधिकारी कानपुर नगर के वाहन सुपुर्दगीनामा दिनांक 31.05.2022 तथा नोटिस संख्या 1472/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 07.07.2022 के अनुसार आप द्वारा किये गये 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू0-49,985/-एवं खनिमुख मूल्य रू0-2,49,925/-तथा नियम-60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू-50,000/- कुल धनराशि रू0-3,49,910/-, आपके पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नही थी। जिस पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू0-25000/- प्रति चूक 30 दिनो तक कुल रू0-25000×30=रू0-7,50,000/-(सात लाख पचास हजार रूपये) व दो वाहनो पर ई0एम0एम0-11 पर अंकित उप खनिज की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाया जाने के कारण नियम-60(6) के तहत अर्थदण्ड रू0-50,000/- एवं तीन वाहनो पर लदे उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू0 5,927/-(पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू0-134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू0-11,55,837/- की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू0-49,985/-एवं खनिमुख मूल्य रू0-2,49,925/- तथा नियम-60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू 50,000/- कुल धनराशि रू0-3,49,910/- व पट्टाधारक के पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नही होने के कारण उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू0 25000/- प्रति चूक 30 दिनों तक कुल शास्ति-25,000×30=7,50,000/-(सात लाख पचास हजार रूपये) व दो वाहनों पर ई0एम0एम0-11 पर अंकित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाये जाने के कारण नियम-60(6) के तहत अर्थदण्ड रू0-50,000/- एवं तीन वाहनो पर लदे कुल उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू0-5,927/- (पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू0-134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू0-11,55,837/- नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त धनराशि जमा प्रतिभूति से समायोजित कर ली जायेगी तथा आपके पक्ष मे स्वीकृत पट्टा के निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (नगर),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि--
1-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2 तहसीलदार सदर को नोटिस दो प्रतियों मे इस निर्देश से प्रेषित की एक प्रति उपरोक्त पर तामीला उपरान्त द्वितीय प्रति वापस कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (नगर),
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

A-20

जॉच आख्या

महोदय,

कृपया पत्रांकः–1441 / तीस–उपखनिज / 2022–23 दिनांक 17.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की पृच्छा पर अपर जिलाधिकारी (नगर) कानपुर नगर द्वारा पट्टाधारक मैं0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज, प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0–113, एम0आई0 जी0–2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा के गाटा संख्या–2मि0 रकबा 10.5हे0 में 210000 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन पट्टा क्षेत्र में कुल खनन / परिवहन किये गये मात्रा की जॉच हेतु दिनांक 17.06.2022 को तहसीलदार बिल्हौर, अवर अभियन्ता–उपखण्ड–द्वितीय, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर कानपुर नगर एवं खान अधिकारी, कानपुर नगर को जॉच समिति मे शामिल करते हुये शीघ्र जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध विवरण के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य दिनांक 13.12.2021 से 07.04.2022 तक 51,306 घनमीटर मात्रा के ई–एम0एम0–11 निर्गत किये गये तथा दिनांक 08.04.2022 से निरीक्षण दिनांक 31.05. 2022 तक 58,421 घनमीटर मात्रा के ई–एम0एम0–11 निर्गत किये गये। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा गत मानसून सत्र समाप्त होने के पश्चात कुल 1,09,727 घनमीटर के प्रपत्र ई–एम0एम0–11 निर्गत किये गये हैं।

उक्त जॉच समिति द्वारा तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा के गाटा संख्या–2मि0 रकबा 10.5हे0 में 210000 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन पट्टा क्षेत्र में कुल खनन / परिवहन कियें गये मात्रा की जॉच पट्टाधारक प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0–113, एम0आई0 जी0–2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर की उपस्थिति में दिनांक 18.06. 2022 को की गई। जॉच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य किया हुआ पाया गया जिसकी विस्तृत पैमाईश जॉच टीम द्वारा की गई। पट्टेधारक द्वारा लगभग 1,10,496 घनमीटर साधारण बालू का खनन / परिवहन किया गया है, जो पट्टेधारक द्वारा निर्गत किये गये प्रपत्र ई–एम0एम0–11 से 769 घनमीटर ज्यादा किया गया है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–स्थलीय फोटो।

तहसीलदार (बिल्हौर)
कानपुर नगर।

अवर अभियन्ता–उपखण्ड–द्वितीय,
कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर
कानपुर नगर

खान अधिकारी
कानपुर नगर।

M.I Knp Ngr.
टीम द्वारा की गयी जॉच आख्या के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

ADM (C)
28/6/22

A-21

समाचार पत्र दैनिक जागरण मे प्रकाशित खबर दिनांक 06.12.2020 शीर्षक "गंगा की धारा मोड़ प्रवाह क्षेत्र में खनन" व अटवा बन्दी माता घाट पर बालू निकालने को बन्धा लगाकर मोड़ दी गयी धारा के क्रम मे राजस्व टीम [redacted] के साथ मिलकर जांच की गयी।

जांचोपरान्त पाया गया कि राजस्व ग्राम कटरी सुनौढ़ा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मे साधारण बालू खनने हेतु मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आई0जी0-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर के पक्ष में पंचवर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक गाटा स0 2मि0 रकबा 10.500हे0 स्वीकृत हुआ। मै. वैष्णवी इण्टरप्राइजेज के कर्मचारीगण स्वीकृत एरिया मे साधारण बालू का खनन करते पाये गये। साधारण बालू का खनन मशीनों द्वारा किया जा रहा है। खनन स्थल से गंगा की मुख्य धारा का प्रवाह लगभग 900मी0 दूर स्थित है। खनन स्थल पर बन्धा बनाकर साधारण बालू का खनन कार्य नही किया जा रहा है, वरन खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु रुके हुए जल मे सामान्य रास्ता बना हुआ पाया गया। वास्तव में दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपे फोटो की स्थिति निर्धारित बालू खनन स्थल से लगभग 700मी0 पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवा तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की है, जो वर्तमान में सपाट रूप में बंधा के रूप मे पाया गया। इस सपाट बन्ध के कारण खनन स्थल की ओर जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से बनी उपशाखा में जल का प्रवाह रूक गया है। इस सपाट बन्ध की वर्तमान में ऊंचाई गंगा नदी की उपशाखा के जल स्तर के समान है। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गंगा नदी में वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से इस ओर पानी आ जाता है। अन्यथा मुख्य धारा का प्रवाह इस ओर नहीं रहता है। गंगा नदी जल का प्रवाह रोककर 3 से 4किमी0 क्षेत्र तक बालू के टापू बनाकर साधारण बालू के खनन का कार्य नही किया जा रहा है।

इस प्रकार जांच से यह स्पष्ट है कि गंगा नदी की मुख्य धारा में बन्धा बनाकर बालू खनन का कार्य नही होता पाया गया। मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आई0जी0-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू का खनन कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के अनुसार गंगा नदी की उपशाखा में जल प्रवाह को सुचारू बनाये जाने हेतु सपाट बन्धा को हटाया जाना उचित होगा।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक– 1 स्थल के चित्र
2 स्थल की अवस्थिति के चित्र
3 वीडियो रिकार्डिंग की सी0डी0

07-12-2020   8/12/2020   7-12-20   07.12.20

क्षेत्रीय लेखपाल	राजस्व निरीक्षक चौबेपुर।	खान अधिकारी कानपुर नगर।	तहसीलदार बिल्हौर, कानपुर नगर।	उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।

महोदय, आपके द्वारा दिये गये आदेश अनुपालन में राजस्व ग्राम कटरी कटरा तह. बिल्हौर कानपुर नगर में गंगा नदी में सपाट बन्धा को हटवा दिया गया। सपाट बन्धा बनाने वाले उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दि. 8-12-20 को प्राथमिकी अंकित कराके की रिपोर्ट थाना चौबेपुर को दी गयी। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।
8-12-20